राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 283/2023

धर्म सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) कृषि (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री मोहन लाल मीणा उप निदेशक जरिये संयुक्त सचिव, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) कृषि (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप निदेशक, उद्यान, धौलपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापन आदेश दिनांक 28.12.2022 के द्वारा किया गया था और उसे दिनांक 30.12.2022 को कार्यग्रहण किया। मात्र 14 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के द्वारा कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा करौली में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

जहां तक अपीलार्थी का 14 दिवस की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–2 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत उसी कार्यालय में पदस्थापित रखा गया है। जहां पर वह पदोन्नति पूर्व पदस्थापित था। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 14 दिवस की अल्पावधि में किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य